

श्रीमान जी ग्राम - खसरापट्टा पटवारी रिपोर्ट जमाबंदी के खता सं. 269 व 729 में
 जमीन का नाम नीट्टु नाका. पुष्पी अक्का जमीन - खाली दर्ज है. जबकि जमीन
 के अन्य पस्वतों में नीट्टु पुष्पी अक्का दर्ज है, उम्ह सुटे जमिने 1956
 के नाम. से दर्ज हुके है अतः जमीन का नाम नीट्टु पुष्पी अक्का दर्ज किया
 जाना उचित होगा।
 Biny
 पट-249/111

भू अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट
 मुताबिक हल्का पटवारी रिपोर्टनुसार व खसरापट्टा के अंगुल
 अंकन सुवस्त है
 ICAS/111/111
 03/10/25

तहसीलदार की रिपोर्ट
 मुताबिक रिपोर्ट पटवारी एवं 249 249/111/111
 शिविर प्रभारी
 तहसीलदार (भू. अ.) नसीराबाद

2025
 568

प्रभारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर-2025"

क्रमांक/282

दिनांक:- 6-10-25

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया है एवं इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू-अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशांषा अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खसरापट्टा तहसील नसीराबाद की जमाबंदी सम्वत् 2075 के खाता संख्या 269 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

क्र स	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
269	नीट्टु ना. बो. पुष्पी खसरापट्टा	खता 6	0.96	नीट्टु ना. बो. पुष्पी अक्का अक्कापट्टा	खता 8	0.96
729	—do—	खता 2	0.28	—do—	खता 2	0.28



क्रमांक :- 5292-93

दिनांक :- 6-10-25

प्रतिलिपि :-
 1) तहसीलदार नसीराबाद के पासनाक
 2) खसरापट्टा प्रकाशक

प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी
 नसीराबाद, जिला अजमेर